निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 279) पटना, मंगलवार 27 मार्च 2018

सं0 ICDS/**80010/04-2018-15/गो0**

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

संकल्प

20 मार्च 2018

विषय:- भारत सरकार के पत्र F.N-NNM/**7/2017-WBP** दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन **(National Nutrition Mission)** को बिहार राज्य के सभी जिलों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश एवं संशोधन के अनुसार संचालित करनें तथा सिवान जिला जिसे इस योजना में भारत सरकार द्वारा सम्प्रति सम्मिलित नहीं किया गया है में भी जब तक भारत सरकार इस योजना को लागू नहीं करती है तब तक शत प्रतिशत राज्यांश मद से ही समरूप तरीके से संचालित करनें की स्वीकृति।

भारत सरकार के पत्र F.N-NNM/**7/2017** -WBP-दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन **(National Nutrition Mission)** की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मिशन का उद्देश्य परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर जीवनचक्र की संकल्पना के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से कुपोषण को दूर करना है । मिशन समय पर सेवा प्रदायगी तथा मजबूत निगरानी और हस्तक्षेप की अवसंरचना के लिए तंत्रों को सुनिश्चिय करेगा । मिशन का लक्ष्य 2022 तक 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन की समस्या को 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है तथा इस निमित लक्षित आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं के पोषण स्तर में समयबद्ध ढंग से अगले तीन वर्ष में सुधार लाने का निम्नवत लक्ष्य है:-

क्र0	उद्देश्य	लक्ष्य
1	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन को रोकना एवं कम करना	2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 6 प्रतिशत तक
2	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प पोषण (कम वजन) को रोकना एवं कम करना	2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 6 प्रतिशत तक
3	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता को कम करना	3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 9 प्रतिशत तक
4	15-49 आयुवर्ष की महिलाओं तथा किशोरियों में रक्ताल्पता को कम करना	3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 9 प्रतिशत तक
5	जन्म के समय कम वजन (LBW) को कम करना	2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 6 प्रतिशत तक

भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में सीवान जिला को छोड़कर शेष 37 जिलों के सभी 525 बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी केन्द्र सहित) पर इस योजना को लागू किया जाना है । इस योजना को समरूप तरीके से बिहार राज्य के सभी जिलों में लागू करने के उद्देश्य से जब तक केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना को सीवान जिला में भी लागू नहीं किया जाता है तब तक शत प्रतिशत राज्यांश मद से सीवान जिला के सभी 19 बाल विकास परियोजना अंतर्गत संचालित सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) में भी इस योजना को लागू किया गया है ।

राष्ट्रीय पोषण मिशन वस्तुत: एक Convergence Platform है । इसके लागू होनें से **ICDS** अन्तर्गत पूरक पोषाहार योजना यथावत जारी रहेगी । मात्र ICDS प्रणाली सुढ़ढीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (ISSNIP) इसमें समाहित होगी ।

इस योजना के तहत मुख्य रूप से ICT- Real Time Monitoring के माध्यम से सेवा प्रदायगी की निगरानी, डाटा कैप्चर करने के लिए सभी ऑगनबाडी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं को टैबलेट प्रदान किया जायेगा। सभी लाभार्थियों, जिसमें गर्भवती महिलाएँ, धात्री माताएँ, नवजात शिशु तथा 6 वर्ष तक के आयु के बच्चें शामिल है, का वजन एवं कद के रिकार्ड ऑगनबाडी केन्द्रों पर ठीक से रखना है। ICT-RTM अपनाने हेतु ऑगनबाडी कार्यकत्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ऑगनबाडी कार्यकत्रियों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कुपोषण को सीधे प्रभावित करने वाली कार्यक्रमों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य पोषण संसाधन केन्द्र-राज्य परियोजना यूनिट का गठन किया जायेगा।

इसके तहत व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने एवं पोषण में सुधार लाने के एजेन्डों को जन आन्दोलन में परिवर्तित करने पर बल दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता एवं आईईसी, ग्राम संपर्क अभियान इत्यादि की शुरूआत पोषण में व्यवहार परिवर्तन लाने हेतु किया जायेगा तथा व्यापक जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं यथा ऑगनबाडी सेविकाएँ, आशा, एएनएम एवं महिला पर्यवेक्षिका इत्यादि को क्रमिक क्षमता विकास पद्धति के द्वारा क्षमतावर्द्धन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत नवाचारी गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए इसे क्रियान्वित किया जायेगा, जिससे पोषण स्तर में वांछनीय परिणाम प्राप्त किया जा सके। सफल प्रयोगों को आगे चलकर विस्तारित भी किया जा सकेगा।

भारत सरकार के पत्र संख्या- एनएनएम/7/2017-डब्ल्युबीपी, दिनांक 26.02.2018 के द्वारा राज्य स्तर पर राज्य प्रबंधन इकाई का गठन, जिसमें एक राज्य परियोजना निदेशक (वेतनमान पर), प्रति 10 जिलें पर एक संयुक्त परियोजना समन्वयक (राज्य स्तर पर कम से कम एक, प्रतिनियुक्ति के आधार पर) तथा संविदा के

आधार पर पांच विशेषज्ञ, प्रति 10 जिलों पर एक लेखापाल (राज्य स्तर पर कम से कम एक), प्रोजेक्ट एसोशिएट (प्रति 10 जिला पर एक प्रोजेक्ट एसोशिएट, राज्य स्तर पर कम से कम एक), दो कार्यालय सहायक/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा दो कार्यालय परिचारी तथा जिला स्तर पर संविदा के आधार पर प्रत्येक जिला में एक जिला समन्वयक एवं एक परियोजना सहायक इसके अतिरिक्त प्रखण्ड स्तर पर संविदा के आधार पर प्रत्येक प्रखण्ड में एक प्रखण्ड समन्वयक एवं एक परियोजना सहायक आदि को संविदा/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य लेना है।

भारत सरकार के पत्र F.N-NNM**/7/2017-WBP** दिनांक 26 फरवरी 2018 द्वारा इस योजनान्तर्गत सभी मदों में केन्द्रांश एवं राज्यांश का निर्धारित अनुपात 60:40 है।

इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी एवं व्ययन मॉग संख्या 51 के अधीन समाज कल्याण विभाग के विपत्र कोड-केन्द्रांश –51-2235021020225 एवं राज्यांश–51-2235021020325 के अंतर्गत केन्द्रांश / राज्यांश मद से विकलनीय होगा।

संचिका संख्या **ICDS/80010/04-2018** पृष्ट संख्या 13/टि0 पर दिनांक **13.03.2018** को मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के पत्र**F.N** F.N-NNM**/7/2017-WBP** दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन **(National** Nutrition Mission**)** को बिहार राज्य के सभी जिलों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश एवं संशोधन के अनुसार संचालित करनें तथा सिवान जिला जिसे इस योजना में भारत सरकार द्वारा सम्प्रति सम्मिलित नहीं किया गया है में भी जब तक भारत सरकार इस योजना को लागू नहीं करती है तब तक शत प्रतिशत राज्यांश मद से ही समरूप तरीके से संचालित करनें की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विश्वासभाजन,
विरेन्द्र कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 279-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in